भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3280
दिनांक 20 मार्च, 2025

पश्चिम बंगाल मे पीएमयूवाई के तहत लाभार्थी

†3280. श्री राजू बिष्ट:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत कुल लाभार्थियों की संख्या पश्चिम बंगाल में जिलेवार कितनी है;
(ख) उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में लाभार्थियों की संख्या तथा उन्हें प्रदान की गई कुल राजसहायता का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या एलपीजी रिफिल की लागत में हाल ही में कोई परिवर्तन हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार पहाड़ी क्षेत्रों में एलपीजी रिफिल की डिलीवरी में आने वाली चुनौतियों से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) क्या सरकार की दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों में वितरकों को होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए रियायत देने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ड.) पूरे देश में गरीब परिवारों की व्यस्क महिला को बगैर जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) शुरू की गई थी। पीएमयूवाई के तहत 8 करोड़ कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य सितंबर, 2019 में हासिल कर लिया गया था। शेष गरीब परिवारों को शामिल करने के लिए 1 करोड़ अतिरिक्त पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य के साथ अगस्त, 2021 में उज्ज्वला 2.0 की शुरूआत की गई थी, जिसे जनवरी, 2022 में हासिल कर लिया गया था। तदुपरांत सरकार ने उज्ज्वला 2.0 के तहत 60 लाख और एलपीजी कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया तथा दिसंबर 2022 के दौरान उज्ज्वला 2.0 के तहत 1.60 करोड़ कनेक्शन के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने पीएमयूवाई योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त 75 लाख कनेक्शन जारी करने को अनुमोदित कर दिया था जिसे पहले ही जुलाई, 2024 के दौरान हासिल किया जा चुका है। दिनांक 01.03.2025 की स्थिति के अनुसार, पश्चिम बंगाल राज्य में 1.23 करोड़ कनेक्शन सहित देश भर में 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन हैं। पीएमयूवाई के तहत पश्चिम बंगाल में जारी किए गए एलपीजी कनेक्शनों के जिला-वार ब्यौरे **अनुलग्नक-क** में दिए गए हैं।

पीएमयूवाई की शुरूआत से वित्त वर्ष 2023-24 तक सरकार ने सिलेंडर के लिए जमानत राशि (एसडी), प्रेशर रेगुलेटर, सुरक्षा होज, डीजीसीसी बुकलेट और इंस्टॉलेशन शुल्क के लिए 1600 रू. प्रति पीएमयूवाई कनेक्शन तक व्यय वहन किए है। वित्त वर्ष 2023-24 से इस व्यय को बढ़ाकर 14.2 किलोग्राम सिंगल बॉटल कनेक्शन/5 किलोग्राम डबल बॉटल कनेक्शन के लिए 2,200 रुपए प्रति कनेक्शन और 5 किलोग्राम सिंगल बॉटल कनेक्शन के लिए 1,300 रुपये प्रति कनेक्शन कर दिया गया है।

पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी को और अधिक किफायती बनाने तथा उनके द्वारा एलपीजी का निरंतर उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सरकार ने मई, 2022 में पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष 12 रिफिल तक 200 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर (तथा 5 किलोग्राम वाले कनेक्शनों के लिए समानुपातिक यथा निर्धारित) की निर्धारित राजसहायता की शुरूआत की। अक्टूबर, 2023 में, सरकार ने प्रति वर्ष 12 रीफिलों तक प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपए तक(तथा 5 किलोग्राम सिलेण्डर के लिए समानुपातिक यथानिर्धारित) निर्धारित राजसहायता को बढ़ा दिया है। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए 300 रुपए प्रति सिलेण्डर की निर्धारित राजसहायता के बाद, भारत सरकार 503 रुपए प्रति सिलेंडर (दिल्ली में) के प्रभावी मूल्य पर 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर प्रदान कर रही है। यह देश में 10.33 करोड़ से अधिक उज्ज्वला लाभार्थियों को उपलब्ध है।

एलपीजी नियंत्रण आदेश 2000 के अनुच्छेद 9(ड़) के अनुसार, राज्य सरकार भौगोलिक क्षेत्र और /अथवा वितरण क्षेत्र में दूरी को ध्यान में रखते हुए अगर आवश्यकता हो तो, उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी सिलेंडरों के लिए घर पर सुपुदर्गी करने के लिए अतिरिक्त प्रभार निर्धारित कर सकती है। तदनुसार, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा दार्जिलिंग और कलिंगपोंग के लिए अतिरिक्त सुपुदर्गी प्रभार निर्धारित किए गए हैं ।

****

अनुलग्नक-क

''पश्चिम बंगाल मे पीएमयूवाई के तहत लाभार्थी'' के संबंध में श्री राजू बिष्ट द्वारा दिनांक 20.03.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्र. सं. 3280 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 01.03.2025 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल में पीएमयूवाई योजना के तहत जारी किए गए कनेक्शनों का जिला-वार ब्यौरा

ज़िला	कनेक्शनों की सं.
अलीपुरद्वार	2,96,085
बांकुड़ा	6,60,691
बीरभूम	8,26,682
दक्षिण दिनाजपुर	3,40,579
दार्जिलिंग	1,25,827
हावड़ा	2,65,138
हुगली	5,22,529
जलपाईगुड़ी	3,30,026
झारग्राम	2,23,068
कलिम्पोंग	12,310
कूच बिहार	5,57,557
कोलकाता	38,046
मालदा	7,06,810
मुर्शिदाबाद	13,20,261
नादिया	7,49,658
उत्तर 24 परगना	9,35,847
पश्चिम बर्धमान	1,95,470
पश्चिम मेदिनीपुर	7,04,055
पूर्बाबर्धमान	7,35,092
पूर्व मेदिनीपुर	7,52,749
पुरुलिया	4,47,991
दक्षिण 24 परगना	10,97,465
उत्तर दिनाजपुर	5,31,345

स्रोत:उद्योग आधार पर आईओसीएल

****